20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निर्धारित

(4) (1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

- - - - -

नि०प्र०क्र० निगरानी 4100/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

शंकर शरण तनय श्री मनोहर दत्त अवस्थी निवासी मोहनगढ़ तह.मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. बैजनाथ अवस्थी तनय श्री जगदीश अवस्थी निवासी मोहनगढ़ तह.मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. ग्राम पंचायत मोहनगढ़ द्वारा सचिव जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.
3. तहसीलदार मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..अनावेदकगण

श्रीवास्तव अभि०
1-6-22 2-7-18 को
आज दि० 2-7-18 को
प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 10-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्र०क्र० 523/बी-121/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 14/5/2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व सं०1959

- - - - - - - - - - -

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि तहसील म०प्र० मोहनगढ़ के मूल ग्राम मोहनगढ़ मे श्री1008 चतुर्भुज मंदिर स्थित है जिसमे ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित कर पुजारी नियुक्ति हेतु जो बैजनाथ अवस्थी ने आवेदन दिया था वह दिनांक 30/4/2015 को निरस्त कर दिया गया था और उक्त आवेदन के विरुद्ध माननीय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां पुनरीक्षणकर्ता शंकर शरण ने अपील प्र०क्र० 82/2015-16 प्रस्तुत की थी और उक्त अपील मे माननीय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने आदेश की कंडिका 5 मे स्पष्ट रूप से लिखा था कि 15/4/2015 का प्रस्ताव बैजनाथ की नियुक्ति का निरस्त करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष मे प्रस्ताव डाला गया हैतथा पुनः ग्राम सभा मोहनगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 15/8/15 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का पुजारी नियुक्ति आदेश जारी किया गया था और वर्तमान मे पुनरीक्षणकर्ता ही मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है इस संबंध मे

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 04-18
पृष्ठ क्र. 01
दिनांक 2/7/18
हस्ताक्षर व नाम

N

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4100/2018/टीकमगढ़/भू.रा. शंकरशरण विरूद्ध बैजनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक शंकरशरण की ओर से अभिभाषक श्री सुन्दरम श्रीवास्तव उपस्थित । 2. आवेदक के द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 523/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-05-2018के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 3. आवेदक अभिभाषक के द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह प्रस्तुत निगरानी को वापिस (Withdraw) करना चाहते हैं । अतः आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत निगरानी आवेदन इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (आर.के. जैन) 17.12.18 सदस्य	